महत्वपूर्ण परिपत्र

कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक, नं. 1, स्टाफ रोड, सिकंदराबाद -500 009
OFFICE OF THE CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS
No.1, STAFF ROAD, SECUNDERABAD-500009
दूरभाष/TELE: 040-27843385 **फैक्स/FAX:040-27817275**

सं./No.AN/II/SAS-II/Dec/2016 **दिनांक/Dated: 21.09.2016**

सेवा में,
सभी अधीनस्थ कार्यालय
मुख्य कार्यालय के सभी अनुभाग

विषय : दिसंबर, 2016 में आयोजित की जाने वाली अधी.ले.से. भाग 2 की परीक्षा।

*****

मुख्यालय कार्यालय द्वारा सूचित किया गया है कि निम्नांकित विवरण के अनुसार अधीनस्थ लेखा सेवा भाग-2 की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा :

दिन/दिनांक	पेपर	समय	विषय	पूर्णांक
सोमवार 12.12.2016	पेपर-V	प्रात: 10.00 से दोपहर 1.00 बजे	निर्माण-कार्य, भंडार और आंतरिक लेखापरीक्षा (आभ्यासिक - पुस्तकों सहित)	100
बुधवार 14.12.2016	पेपर-VI	प्रात: 10.00 से दोपहर 1.00 बजे	निर्माण-कार्य, भंडार और आंतरिक लेखापरीक्षा (सिद्धांत-पुस्तकों के बिना)	100
गुरुवार 15.12.2016	पेपर-VII	प्रात: 10.00 से दोपहर 1.00 बजे	वित्तीय प्रबंधन, आई.एफ.ए. प्रणाली और विधि के अवयव (सैद्धांतिक - पुस्तकों के बिना)	100
शुक्रवार 16.12.2016	पेपर-VIII	प्रात: 10.00 से दोपहर 1.00 बजे	कार्यालय संप्रेषण	150
शनिवार 17.12.2016	पेपर-IX	प्रात: 10.00 से 11.30 बजे दोपहर 12.00 बजे से 1.30 बजे	इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग के मौलिक सिंद्धांत (सैद्धांतिक और आभ्यासिक)	100

2. निम्नलिखित पात्रता के आधार पर उम्मीदवारों की सिफारिश की जाएगी :-

I. **<u>सामान्य अवसर</u>**

(क) जिन उम्मीदवारों ने अगस्त, 2016 में आयोजित अधी.ले.से. भाग-1 की परीक्षा उत्तीर्ण की है (एस.ए.एस. अप्रेंटिस सहित)।

(ख) जो उम्मीदवार मई, 2015 में आयोजित अधी.ले.से. भाग-1 की परीक्षा में (एस.ए.एस. अप्रेंटिस सहित) उत्तीर्ण हुए हैं परंतु, नवंबर, 2015 में आयोजित अधी.ले.से. भाग-2 की परीक्षा में उत्तीर्ण न हो पाए हों, वे इस परीक्षा में बैठ सकेंगे । जो उम्मीदवार किसी एक या उससे अधिक पेपरों में छूट योग्य अंक प्राप्त कर पाए हैं (पेपर-V, VI, VII, VIII अथवा IX), उन्हें छूट प्राप्त पेपरों की परीक्षा में फिर से बैठने की आवश्यकता नहीं है ।

(ग) जो उम्मीदवार सितंबर, 2014 में आयोजित अधी.ले.से. भाग-1 की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं परंतु फरवरी, 2015 और नवंबर, 2015 में आयोजित अधी.ले.से. भाग-2 की परीक्षा में उत्तीर्ण न हो पाए हों, वे इस परीक्षा में बैठ सकेंगे । जो उम्मीदवार किसी एक या उससे अधिक पेपरों में छूट योग्य अंक प्राप्त कर पाए हैं (पेपर-V, VI, VII, VIII अथवा IX), उन्हें छूट प्राप्त पेपरों की परीक्षा में फिर से बैठने की आवश्यकता नहीं है ।

(घ) जो उम्मीदवार दिसंबर, 2013 में आयोजित अधी.ले.से. भाग-1 की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं परंतु मई, 2014, फरवरी, 2015 और नवंबर, 2015 में आयोजित अधी.ले.से. भाग-2 की परीक्षा में उत्तीर्ण न हो पाए हों, वे इस परीक्षा में बैठ सकेंगे । जो उम्मीदवार किसी एक या उससे अधिक पेपरों में छूट योग्य अंक प्राप्त कर पाए हैं (पेपर-V, VI, VII, VIII अथवा IX), उन्हें छूट प्राप्त पेपरों की परीक्षा में फिर से बैठने की आवश्यकता नहीं है ।

II. <u>विशेष अवसर</u>

(क) जो उम्मीदवार नवंबर, 2007 में आयोजित अधी.ले.से. भाग-1 की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं परंतु अप्रैल, 2008, नवंबर, 2009, सितंबर, 2013, मई, 2014, फरवरी, 2015 और नवंबर, 2015 में आयोजित अधी.ले.से. भाग-2 की परीक्षा में उत्तीर्ण न हो पाए हों, वे इस परीक्षा में बैठ सकेंगे । जो उम्मीदवार किसी एक या उससे अधिक पेपरों में छूट योग्य अंक प्राप्त कर पाए हैं (पेपर-V, VI, VII, VIII अथवा IX), उन्हें छूट प्राप्त पेपरों की परीक्षा में फिर से बैठने की आवश्यकता नहीं है ।

(ख) जो उम्मीदवार अप्रैल, 2009 में आयोजित अधी.ले.से. भाग-1 की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं परंतु नवंबर, 2009, सितंबर, 2013, मई, 2014, फरवरी, 2015 और नवंबर, 2015 में आयोजित अधी.ले.से. भाग-2 की परीक्षा में उत्तीर्ण न हो पाए हों, वे इस परीक्षा में बैठ सकेंगे । जो उम्मीदवार किसी एक या उससे अधिक पेपरों में छूट योग्य अंक प्राप्त कर पाए हैं (पेपर-V, VI, VII, VIII अथवा IX), उन्हें छूट प्राप्त पेपरों की परीक्षा में फिर से बैठने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) जो उम्मीदवार अप्रैल, 2013 में आयोजित अधी.ले.से. भाग-1 की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं परंतु सितंबर, 2013, मई, 2014, फरवरी, 2015 और नवंबर, 2015 में आयोजित अधी.ले.से. भाग-2 की परीक्षा में उत्तीर्ण न हो पाए हों, वे इस परीक्षा में बैठ सकेंगे । जो उम्मीदवार किसी एक या उससे अधिक पेपरों में छूट योग्य अंक प्राप्त कर पाए हैं (पेपर-V, VI, VII, VIII अथवा IX), उन्हें छूट प्राप्त पेपरों की परीक्षा में फिर से बैठने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) जो एस.ए.एस. अप्रेंटिस सितंबर, 2014 में आयोजित अधी.ले.से. भाग 1 की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं परंतु फरवरी, 2015 और नवंबर, 2015 में आयोजित अधी.ले.सेवा भाग-2 की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए वे इस परीक्षा में बैठ सकेंगे । जो उम्मीदवार किसी एक या उससे अधिक पेपरों में छूट योग्य अंक प्राप्त कर पाए हैं (पेपर-V, VI, VII, VIII अथवा IX), उन्हें छूट प्राप्त पेपरों की परीक्षा में फिर से बैठने की आवश्यकता नहीं है।

नोट : जो उम्मीदवार विशेष अवसर का प्रयोग कर रहे हैं उनके आहरण की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

3. जो उम्मीदवार उपरोक्त शर्तों को पूरा करते हैं (जो छुट्टी पर हों उनके सहित) उनके नाम संलग्न प्रोफार्मा में इस कार्यालय को भेज दें । यदि उम्मीदवार को किसी पेपर में छूट प्राप्त हैं तो उसका विवरण स्पष्ट रूप में प्रोफार्मा में दिखाएं।

4. उपरोक्त प्रोफार्मा को पूरा करते समय निम्नांकित अनुदेशों का पालन किया जाए :-

(क) वैकल्पिक भाग का उत्तर देते समय उम्मीदवार को किसी एक को विकल्प के रूप में चुनना होगा -
(A)सेना (B) वायुसेना (C) नौसेना और (D) फैक्टरी । वर्तमान में वे किस संगठन में सेवारत हैं, इसका उससे कोई संबंध नहीं है ।

(ख) कर्मचारी के ड्यूटी स्थान से सबसे नज़दीकी परीक्षा केंद्र ही उनको आबंटित किया जाएगा । तथापि अपवादभूत परिस्थितियों में यदि कोई उम्मीदवार अपने कार्यालय के निकटतम केन्द्र से दूर किसी केन्द्र में परीक्षा लिखने का इच्छुक है तो उस उम्मीदवार का आवेदन जिसके साथ संबंधित प्रधान नियंत्रक/नियंत्रक के विशिष्ट सिफारिश का होना अनिवार्य है, मुख्यालय कार्यालय के विचारार्थ भेजा जाए । किसी भी परिस्थिति में मुख्यालय कार्यालय के पूर्व-अनुमोदन के बिना कोई भी उम्मीदवार अपने चयनित परीक्षा केन्द्र से परीक्षा में नहीं बैठ सकता है ।

(ग) यह परीक्षा इलाहबाद, बेंगलूर, चेन्नई, चंडीगढ़, कोचीन, देहरादून, गुवाहाटी, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकता, लखनऊ, मेरठ, नई दिल्ली, पटना, पुणे 'ए' [र.ले.प्र.नि. (अफसर)] और सिकंदराबाद केन्द्रों में आयोजित की जाएगी बशर्ते कि इन केन्द्रों से पर्याप्त उम्मीदवार परीक्षा में बैठ रहे हों । प्रशासनिक सुविधा के अनुसार इन केन्द्रों में परिवर्तन हो सकता है । उम्मीदवारों को निदेश दिये जाएं कि वे पहले ही अवसर पर पक्के तौर पर केन्द्र के नाम का चयन करें (निर्धारित अर्हता को ध्यान में रखते हुए) । दिनांक 30.10.1971 के ज्ञापन सं. 33012(5) N/1/AN-K में निहित अनुदेशों के अनुसार जिन उम्मीदवारों के अनुक्रमांक अधिसूचित कर दिये जाते हैं उनके स्थानांतरण को स्थगित कर दिया जाना चाहिए । जहाँ तक संभव हो इस अनुदेश का पालन किया जाए ।

5. उम्मीदवारों को सभी पेपरों को अग्रेज़ी अथवा हिंदी में लिखने का विकल्प दिया जाएगा । सभी पेपरों में प्रश्न द्विभाषी रूप में मुद्रित किये जाएंगे । तथापि यह विकल्प पूर्ण पेपर के लिए है न कि कुछ भागों में । अत: उम्मीदवार एक अथवा सारे प्रश्न-पत्रों को पूर्ण रूप से हिंदी अथवा अंग्रेज़ी में लिखने का विकल्प दे सकते हैं । अन्य शब्दों में, **प्रत्येक प्रश्न के लिए हिंदी अथवा अंग्रेज़ी में उत्तर लिखने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसी उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा ।** इस तथ्य को उम्मीदवारों के ध्यान में लाया जाए । प्रोफार्मा में दिए गए कॉलम में उम्मीदवारों द्वारा हिंदी में उत्तर दिये जाने के विकल्प को दर्शाया जाए । यदि कोई भी उम्मीदवार हिंदी में उत्तर लिखने का विकल्प न दे तो 'शून्य' रिपोर्ट भी भेजना अनिवार्य है ।

5.1 हाल के दिनों में यह देखा गया है कि उत्तर-पुस्तिका में वैकल्पिक सेक्शन के लिए दिए गए भाग को उम्मीदवार अनिवार्य सेक्शन का उत्तर देने के लिए प्रयोग में ला रहे हैं अथवा सभी सेक्शनों का उत्तर देने के लिए एक की उत्तर-पुस्तिका का प्रयोग कर रहे हैं । **यह सभी उम्मीदवारों के ध्यान में लाया जाता है कि पेपर-V और पेपर-VI के लिए उम्मीदवार ने जिस सेक्शन का विकल्प दिया है उन्हें उसके लिए विशेष रूप से अलग से प्रदत्त उत्तर-पुस्तिका का ही इस्तेमाल करना है । इस अनुदेश का अनुपालन न करने पर ऐसी उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उन्हें शून्य अंक प्रदान किए जाएंगे ।**

6. सामाजिक न्याय और शक्तता मंत्रालय, अशक्तता विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 26.02.2013 के का.ज्ञा. सं. 16-110/2003-DD.III के दिशानिर्देशों के अनुसार, शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के विवरण सूचित करें । यदि शारीरिक रूप से विकलांग किसी उम्मीदवार को लेखक/ प्रतिपूरक समय आदि की आवश्यकता हो तो वांछित चिकित्सा प्रमाण-पत्र के साथ उम्मीदवार के आवेदन को सक्षम प्राधिकारी के विचारार्थ प्रेषित किया जाए।

7. योग्यता प्राप्त करने वाली परीक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के स्तर में छूट के संबंध में भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 21.01.1977 के का.ज्ञा.सं. F 36021/10/76-Estt. (SCT) में निहित अनुदेशों के अनुसरण में यह सूचित किया जाता है कि रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा इस परीक्षा में अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को प्रत्येक पेपर / पूर्णयोग में अधिकतम 5% की छूट प्रदान की जाएगी । इस तथ्य को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के ध्यान में लाया जाए । जो उम्मीदवार आरक्षित समुदाय के हैं, उन्हें संलग्न प्रपत्र में अपनी जाति का विवरण देना होगा ।

8. संलग्न प्रपत्र में उम्मीदवारों की सूची **दिनांक 30/09/2016 तक इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से भेज दें** । कृपया नोट करें कि अंतिम तारीख के बाद प्राप्त उम्मीदवारों को अनुक्रमांक आबंटित करने की किसी भी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जाएगा । (किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के अलावा जिसकी ज़िम्मेदारी संबधित कार्यालय को लेनी होगी) । निर्धारित तारीख तक विवरण भेजना सुनिश्चित करें ताकि समयानुसार मुख्यालय कार्यालय को सारे नामांकन भेजे जा सकें । जिन उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने के लिए चुना गया है उनके नाम व आबंटित अनुक्रमांक मुख्यालय कार्यालय से प्राप्त होने पर सूचित किए जाएंगे ।

9. इच्छुक उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने ही हित में तुरंत परीक्षा की तैयारी शुरु कर दें और उनकी उम्मीदवारी की स्वीकृति का इंतज़ार न करें । आयोजित की जाने वाली प्रशिक्षण कक्षाओं का शायद उम्मीदवार सही उपयोग नहीं करते हैं। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इन कक्षाओं में पर्याप्त रुचि दिखाएं और कक्षाओं में नियमित रूप से भाग लें ।

10. अनुपस्थिति के कारण न केवल कार्य का बोझ चौतरफा बढ़ता है परंतु साथ ही परीक्षा के आयोजन में किए जा रहे प्रशासनिक प्रबंध में अपव्यय होता है । अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 14 (b) के अनुसार अधी.ले.से. भाग 1 या 2 की परीक्षा में बैठने की अनुमति को एक अवसर के रूप में गिना जाएगा । इसका उम्मीदवार का परीक्षा में वास्तविक रूप से बैठने या न बैठने से कोई संबंध नहीं है (उन मामलों के अलावा जिनमें रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा विशिष्ट रूप से उनका नाम आहरित करने की अनुमति प्रदान की गई हो) उपरोक्त प्रावधान और अधी.ले.से. नियम 14(d) के अनुसार, निर्धारित समय-सीमा के उपरांत प्राप्त आहरण के आवेदन को अस्वीकार किया जाएगा आौर परीक्षा में बैठने की उस अनुमति को एक अवसर के रूप में गिना जाएगा । रक्षा मंत्रालय (वित्त) के निर्णय के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि संशोधित अधी.ले.से. नियमों के अनुरूप परीक्षा आरंभ होने के उपरांत चिकित्सा आधार पर परीक्षा में अनुपस्थिति को मूल्यवान चार अवसरों में से एक अवसर गँवाने के समान माना जाएगा । **आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विशेष अवसर का प्रयोग करने वाले उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा से आहरण की प्रार्थना को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा ।**

11. अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षाओं के विस्तृत नियम, विस्तृत नया पाठ्यक्रम, सिफारिश की गई पुस्तकें आदि को पहले ही अधिसूचित और परिचालित किया गया है । इस संबंध में मैनुअलों में किसी भी संशोधन के लिए उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि उनके ही हित में वे नियमों और विनियमों को तदनुसार अद्यतन/संशोधित कर लें ।

12. **महत्वपूर्ण**

(i) यह देखा गया है कि कुछ मामलों में छूट के विवरण को नहीं दिया जाता है जिसके कारण सभी संबधित पक्षों को व्याकुलता का सामना करना पड़ता है । अनुरोध है कि पिछली परीक्षा का वर्ष और अनुक्रमांक प्रोफार्मा में अनिवार्य रूप से भरें (यदि कोई छूट न हो तब भी भरें) ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छूट के विवरण और पिछली परीक्षा के विवरण दर्शाने में कोई चूक न हो ।

(ii) इस अति महत्वपूर्ण परिपत्र को सभी संबंधित व्यक्तियों से नोट कराया जाए ।

13. चूँकि परिपत्र की हार्डकॉपी को डाक द्वारा नहीं भेजा जा रहा है अतः सभी सबंधित पक्षों से अनुरोध किया जाता है कि वे वेबसाइट पर उपलब्ध परिपत्र के आधार पर तुरंत आवश्यक कार्रवाई करें ताकि परीक्षा की निर्धारित समय-सीमा का पालन किया जा सके ।

कृपया पावती दें ।

हस्ता/-
(बी. बाल जवाहर)
रक्षा लेखा उप नियंत्रक (प्रशा)